

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 7, 2014/पौष 17, 1935

No. 38]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 7, 2014/PAUSHA 17, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2014

का.आ. 38(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 335(अ), तारीख 14 फरवरी, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में तारीख 14 फरवरी, 2011 को प्रकाशित की गई थी, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,

- (क) जिला “बिलासपुर” से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने, कॉलम 5 में “बिलासपुर और मस्तूरी” को क्रम सं. (1) बिलासपुर, (2) मस्तूरी और (2) मस्तूरी के बाद में (3) सीपत के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इसी प्रकार अंतिम कॉलम (क) में तालुक बिलासपुर, मस्तूरी और सीपत के सामने प्रविष्टि “रिसदा” की क्रम सं. (6) रिसदा और प्रविष्टि के पश्चात् (7) दर्शघाट प्रविष्टि अंतः स्थापित की जावेगी,
- (ख) जिला “जांजगीर-चांपा” से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, अंतिम कॉलम में क्रम संख्या (8) रिसदा के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जावेगी, अर्थात्— (9) कोनार, (10) नंदली, (11) मुलमुला, (12) भैंसो, (13) झिलमिली, (14) झूलन, (15) पकरिया, (16) बानाहिल, (17) तरौंद, (18) तिलई, (19) पुटपुरा, (20) खोखरा, (21) पेन्ड्री, (22) सुकली, (23) नवापारा, (24) उडईबंद, (25) पिसौद, (26) पिथमपुर, (27) हथनेवारा, (28) मौजारिसदा, (29) सकरेली, (30) पोरथा, (31) नवापाराखुर्द, (32) दोडकी, (33) तोहिलाडीह, (34) जुजुंग, (35) सकरेलीकला, (36) सरवानी, (37) तेन्दुतोहा, (38) करपाली, (39) रेवापाली, (40) मसनियाखुर्द, (41) मसनियाकला
- (ग) जिला “रायगढ़” से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने, अंतिम कॉलम में क्रम संख्या (23) रंगलपल्ली के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जावेगी, अर्थात्— (24) आमाडोल, (25) जमलोर, (26) नाहरपाली, (27) बैकुण्ठपुर, (28) कोसमानारा, (29) छातामुरा, (30) दरोगामुडा, (31) बदमाल।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-37014/18/2010/एनएचडीपी-IVA]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2014

S.O. 38(E).—In exercise of power conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Govt. of India in the Ministry of Road Transport and Highways No. S.O. 335(E) dated the 14th February, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated 14th February, 2011, namely :—

In the Schedule to the said notification,

(a) against serial No.1 relating to District “Bilaspur” in the 5th column “Bilaspur and Masturi” shall be numbered as (1) Bilaspur, (2) Masturi and after (2) Masturi as so numbered the entry shall be inserted namely “(3) Sipat” and in the last column (A) against Taluk Bilaspur, Masturi and Sipat” the entry “Risda” shall be numbered “(6) Risda” and after entry “(7) Darrighat” shall be entered.

(b) against serial No. 2 relating to District “Janjgir-Champa” in the last column, after entry “(8) Risda” the following entries shall be inserted namely, (9) Konar, (10) Nandali, (11) Mulmula, (12) Bhainso, (13) Jhilmili, (14) Jhulan, (15) Pakaria, (16) Banahil, (17) Taround, (18) Tilai, (19) Putpura, (20) Khokhara, (21) Pendri, (22), Sukali, (23) Nawapara, (24) Udaibandh, (25) Paisoud, (26) Pithampur, (27) Hathnewara, (28), Mausarisda, (29) Sakreli, (30) Portha, (31) Nawaparakhurd, (32) Dodaki, (33) Tohiladih, (34) Jujung, (35) Sakrelikala, (36) Sarwani, (37) Tendutoha, (38) Karrapali, (39) Rewapali, (40) Masaniakhurd, (41) Masaniakala.

(c) against serial No. 3 relating to District “Raigarh” in the last column, after entry “(23) Rangalpalli” the following entries shall be inserted namely, (24) Amadol, (25) Jamlora, (26) Naharpali, (27) Baikunthpur, (28) Kosmanara, (29) Chhatamura, (30) Darogamuda, (31) Badmal.

[F. No. RW/NH-37014/18/2010/NHDP-IVA]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.